2023 का हरियाणा विधेयक संख्या ----------------------

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,

को आगे संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चैहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

|  |  |
| --- | --- |
| संक्षिप्त नाम। | 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है ।  (2) यह 14 नवम्बर, 2022 से लागू हुआ समझा जाएगा । |
| 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 6 का प्रतिस्थापन । | 2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-  ’’6 निगम की सीटों का निर्धारण.- (1) सीटों की कुल संख्या को सरकार द्वारा, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निर्धारित किया जाएगा ।  (2) सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, नगर क्षेत्र को वार्डों में ऐसी रीति में विभाजित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।’’। |
|  | उदद्ेश्यों तथा कारणों के विवरण |